न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 123 /2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसाराम पुत्र रूपाराम 2. तुलछाराम पुत्र रूपाराम जातियान– माली निवासीगण– बलून्दा तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।		1. रूघनाथ पुत्र मंगला फौत के का0मुकाम। 1/1 हडमान पुत्र रूघनाथ 1/2 हिमता पुत्र रूघनाथ 1/3 छोटूराम पुत्र रूघनाथ 2. लिछमण पुत्र किशना फौत के का0 मुकाम। 2/1 धर्माराम पुत्र लिछमण 2/2 सुगनाराम पुत्र लिछमण 3. भोलजी पुत्र खींया उर्फ खींवजी फौत के का0मुकाम। 3/1 रामबक्ष पुत्र भोला फौत के का0 मुकाम 3/1/1 राजुराम पुत्र रामबक्ष 3/1/2 सेटूराम पुत्र रामबक्ष 3/2 चेनाराम पुत्र भोलाराम 3/3 हापुराम पुत्र भोलाराम जाति– माली निवासीगण– बलून्दा तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0। 4. राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार जी जैतारण जिला– पाली राज0।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88,53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 **तारीख रजू:.24/07/2018**

उपस्थितः. 1. श्री, शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री महेन्द्र कुमार प्रजापत, अधिवक्ता प्रति0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 07/03/2019**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा बलून्दा तहसील – जैतारण की सीमा में निम्न खसरा नंबर व रकबा की आराजी वाके है। यह कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट के मंगला व किशना पिसरान खींया माली के नाम पर्चा लगान जारी किया गया था। नकल पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान की प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति साथ पेश है। विवरण आराजी निम्न है खसरा नंबर– 1709 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 2030 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा है। उपरोक्त कृषि भूमि कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा को दावा में आगे जमीन मुतदाविया के नाम से सम्बोधन किया जावेगा। उपरोक्त जमीन मुतदाविया की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। वक्त सेटलमेन्ट के उपरोक्त जमीन मुतदाविया जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में माफिक पर्चा लगान के बतौर खातेदार के मंगला व किशना पिसरान खींया माली के नाम दर्ज की गई थी। जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। सम्वत् 2016 से 2019 की जमाबंदी के दौरान ही मंगला पुत्र खींया का देहान्त हो जाने से जरिये फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 88 के मंगला के पुत्र रूघनाथ के नाम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अमल दरामद किया गया। यह इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 है। खींया उर्फ खींवजी के चार पुत्र क्रमशः मंगला, किशना, भोलजी, रूपाराम थे। इस प्रकार से ये चारो सगे भाई है और संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है मंगला व किशना दोनों बड़े थे। इसलिए वक्त सेटलमेन्ट के इन दोनों के नाम उक्त कृषि भूमि का इन्द्राज हुआ। ग्राम बलून्दा में यह प्रथा थी कि परिवार में जो बड़े है उनके नाम ही कृषि भूमि का इन्द्राज कराया जाता था। लेकिन सभी भाईयों के हक अधिकार समान रूप से होते थे। इसलिए सेटलमेन्ट के वक्त बड़े भाई मंगला व किशना के नाम उक्त कृषि भूमि का इन्द्राज हुआ पर छोटे भाई भोलजी व रूपाराम के हक अधिकार उक्त दोनों भाईयों के साथ बराबर बराबर रहे है व आज भी है। इसलिये मंगला के हिस्से में रूपाराम का बंट एवं किशना के हिस्से में भोलजी का बंट रहा है। इसलिये वादपत्र में अंकित वंक्षावली अनुसार वादीगण का 1/4 हिस्सा मंगला व रूघनाथ जी के वारिसान के साथ होने से दोनों का 1/4, 1/4 अर्थात मृतक मंगला के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा है इसी प्रकार मृतक किशना के वारिसान का हिस्सा होने से दोनों का 1/4, 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार वक्त सेटलमेन्ट से आज तक लगातार पक्षकारान् मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। इसलिये यह वादपत्र घोषणा की दादरसी के लये खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण का उपरोक्त कृषि भूमि में समान रूप से 1/4, 1/4 हक हिस्सा है और मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार पक्षकारान काश्त करते है व काबिज है राजस्व रेकर्ड में उक्त जमीन मुतदाविया मृतक व किशना के वारिसान के नाम ही संयुक्त रूप से इन्द्राज है इसलिए तकासमा की दादरसी के लिये भी यह वादपत्र वादीगण की ओर से खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार काश्त संबंधी सभी तरह के कार्य करे उसमें प्रतिवादीगण या उनके रिश्तेदार, हाली एजेन्ट किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं करे। इसी दादरसी हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र भी वादीगण की ओर से खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण जस्साराम व तुलछाराम का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण हड़मान, हिमता व छोटूराम के साथ है अर्थात वादीगण जसाराम तुलछाराम व हडमान हिमता छोटू का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है जिसके 1/4, 1/4 हिस्सा है इसलिए हड़मान हिमता छोटूराम का भी 1/4 हिस्सा व हक घोषित किया जावे। मृतक किशना लिछमण के वारिसा प्रतिवादीगण धर्माराम व सुगनाराम का भी 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे व मृतक भोलजी के वारिसान रामबक्ष, चेनाराम व हापु का हक हिस्सा उक्त धर्माराम व सुगनाराम के साथ संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा है जिसमें इसका 1/4, 1/4 हिस्सा है इसी अनुसार जमीन मुतवादिया में 1/4, 1/4 हक हिस्से के खातेदार घोषित किया जावे। जमीन मुतवादिया में वादीगण का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादी हड़मान, हिमता, छोटूराम को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी धर्माराम सुगनाराम को भी 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी रामबक्ष के वारिसान चेनाराम हापुराम को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। इस हेतु यह घोषणा का वादपत्र पेश है। जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में रूघनाथ पुत्र मंगला 1/2 व लिछमण पुत्र किशना 1/2 खातेदार का इन्द्राज है रूघनाथ व लिछमण का देहान्त हो चुका है इसलिए इनके वारिसान को प्रतिवादी पक्षकारान बनाकर यह वादपत्र वादीगण की ओर से घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतू पेश है। बिनाय दावा जब उक्त आराजी मुतदाविया के संबंध में पूर्व में ली गई राजस्व रेकर्ड की नकलों से जानकारी हुई कि इसमें वादीगण का व प्रतिवादीगण संख्या 03 के कायम मुकाम का नाम नहीं है तब दीगर प्रतिवादीगण को आराजी मुतदाविया में अपने नाम इन्द्राज करवाने व भूमि का तकासमा करवाने का दिनांक 20/02/2018 को ग्राम बलून्दा में कहा तो दीगर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया तब पैदा हुआ जो अव्द म्याद अदालत बाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 से 20 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 1/2,1/3 बावजुद सम्मन सुचना के अनुपरिथत रहने स इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी सं. 01 मय अधिवक्ता एवं 02 की और से जरिये अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं. 1/1,2/1,2/3,3/2 मय अधिवक्ता एवं 3/1/1,3/1/2,3/3 जरिये अधिवक्ता एक तहरीरी राजीनामा पेश किया। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 1709 कुल रकबा 05-15 बीघा व खसरा नंबर 2030 रकबा 14-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण का जिनका हक हिस्सा प्रतिवादी हड़मान, हिमता, छोटूराम,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के साथ संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा होने से वादीगण को 1/4 हिस्से व प्रतिवादी हड़मान, हिमता, छोटूराम को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। भोलजी के का0मुकाम का उक्त आराजी मुतदाविया में जिनका हक हिस्सा प्रतिवादी लिछ्मण के वारिसान धर्माराम, सुगनाराम के साथ संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा होने से प्रतिवादीगण भोलजी के कायम मुकाम को 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। व प्रतिवादी लिक्षमण के का0मु0 धर्माराम सुगनाराम को 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 रूघनाथ के का0मु0 वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 लिछ्मण के का0मु0 वारिसान प्रतिवादी संख्या 03 भोलजी के का0मु0 वारिसान को 1/4, 1/4 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार इन्द्राज करने की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे तथा इसी अनुसार मौके पर बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जावे। वादीगण के हक, हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण व इनके एजेन्ट किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के वास्ते रोका जावे। राजीनामा पेशकर निवेदन है कि उपरोक्त कृषि भूमि में वादीदण जसाराम, तुलछाराम का 1/4 हिस्से के खातेदार, प्रतिवादी हड़मान, हिमता, छोटूराम का भी 1/4 हिस्से के खातेदार, प्रतिवादी धर्माराम, सुगनाराम का भी 1/4 हिस्से के खातेदार, तथा भोलजी व रामवक्ष के वारिसान राजूराम, सेढूराम, चेनाराम, हापूराम को भी 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त कृषि भूमि की तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी व निर्णय पारित किया जावे। बाद राजीनामा तस्दीक किया गया।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय एवं न्यायिक दृष्टान्त पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर अपने-अपने हिस्से अनुसार अर्थात् उक्त आराजी पर काबिज अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर अपने-अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर खाता व लगान अलग-अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की है। आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजीनामा प्रा0डिकी वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण की सीमा में खसरा नंबर 1709 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 2030 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/100 दिनांक 22/01/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/1182 दिनांक 22/02/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, तहसील–जैतारण की सीमा में खसरा नंबर 1709 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 2030 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	छोटुराम हडमान हिमताराम कानीदेवी पिता रूघनाथ मीरादेवी पत्नी रूघनाथ कौम माली सा.देह खातेदार।	1709	1-09-00	बा.अ.	0.90
		2030/2	3-14-00	बा.अ.	2.29
2	धर्माराम सुगनाराम पिता लिछमण इन्द्रा पुत्री लिछमण गोदावरी पत्नी लिछमण कौम माली सा.देह खातेदार।	1709/2	1-09-00	बा.अ.	0.90
		2030	3-14-00	बा.अ.	2.29
3	राजुराम सेदूराम पिता रामबक्ष रूकमा शोभादेवी पुत्रियां रामबक्ष छट्की पत्नी रामबक्ष चेनाराम हापुराम पिता भोलाराम पेमली पुत्री भोलाराम कौम माली सा.देह खातेदार।	1709/1	1-09-00	बा.अ.	0.90
		2030/1	3-14-00	बा.अ.	2.29
4	जसाराम तुलछाराम पिता रूपाराम कौम माली सा.देह खातेदार	1709/3	1-09-00	बा.अ.	0.90
		2030/3	3-14-00	बा.अ.	2.29

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलब्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/03/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner